रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०
डब्लू / एन०पी०–91 / 2008–10
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 1 मई, 2008

वैशाख 11, शक सम्वत् 1930

उत्तर प्रदेश सरकार

प्राविधिक शिक्षा अनुभाग–1

संख्या 1561 / सोलह-1-2008-5(W-48)-2003

लखनऊ, दिनांक : 1 मई, 2008

अधिसूचना

प्रकीर्ण

प०आ०नि०–28

उत्तर प्रदेश निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 सन् 2006) की धारा 4 के साथ पठित धारा 13 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल समिति के गठन को विनियमित करने के उद्देश्य से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तर प्रदेश निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) (समिति का गठन) नियमावली, 2008

भाग–1

सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

1–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) (समिति का गठन) नियमावली, 2008 कही जायेगी।

(2) यह तत्काल प्रवृत्त होगी।

परिभाषाएं

2–जब तक विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में,–

(क) "अधिनियम" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम, 2006 से है;

(ख) "समिति" का तात्पर्य नियम 3 के अधीन गठित प्रवेश और फीस के विनियमन की समिति से है;

(ग) "सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है।

भाग--2

समिति

समिति की संरचना

3--(1) प्रवेश और फीस के विनियमन के लिए समिति गठित की जायेगी जिसमें राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जाने वाले निम्नलिखित सदस्य होंगे :--

(क) संबंधित विभाग के सरकार के प्रमुख सचिव/सचिव	अध्यक्ष, पदेन
(ख) दो अन्य सदस्य (केवल ऐसे व्यक्तियों को सदस्य के पद पर नियुक्त किया जायेगा जिन्हें वित्त और प्रशासन के मामलों का अनुभव हो)।	सदस्य

(2) समिति के गठन को बजट में और कम से कम दो दैनिक समाचार पत्रों में अधिसूचित किया जायेगा।

भाग--3

समिति पर उपगत होने वाला व्यय

समिति पर उपगत होने वाला व्यय

4--समिति के कार्यकलापों पर उपगत होने वाले समस्त व्यय की बजट व्यवस्था प्राविधिक शिक्षा विभाग के माध्यम से की जायेगी।

भाग--4

प्रकीर्ण

अपील

5--समिति के किसी आदेश द्वारा व्यथित कोई व्यक्ति या व्यावसायिक संस्था ऐसे आदेश की प्राप्ति के दिनांक से 30 दिन की अवधि के भीतर अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अधिनियम की धारा 11 के अधीन अपील दाखिल करेगी।

आज्ञा से,

आलोक रंजन,

प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1561/XVI-1-2008-5(w-48)-2003 dated May 1, 2008.

No. 1561/XVI-1-2008-5(w-48)-2003

Dated, Lucknow 1 May, 2008

In exercise of the powers under section 13 *read* with section 4 of the Uttar Pradesh Private Professional Educational Institutions (Regulation of Admission and Fixation of Fee) Act, 2006 (U.P. Act no. 24 of 2006), the Governor is pleased to make the following rules with a view to regulating the constitution of Committee :-

THE UTTAR PRADESH PRIVATE PROFESSIONAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS (REGULATION OF ADMISSION AND FIXATION OF FEE) (CONSTITUTION OF COMMITTEE) RULES, 2008

PART-1

General

Short title and commencement

1-(1) These Rules may be called the Uttar Pradesh Private Professional Educational Institutions (Regulation of Admission and Fixation of Fee) (Constitution of Committee) Rules, 2008.

(2) They shall come into force at once.

Definitions

2-In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context,--

(a) "Act" means the Uttar Pradesh Private Professional Educational Institutions (Regulation of Admission and Fixation of Fee) Act, 2006;

(b) "Committee" means the Committee for admission and fee regulation constituted under rule 3;

(c) "Government" means the State Government of Uttar Pradesh.

PART-2

The Committee

Composition of Committee

3-(1) The Committee for admission and fee regulation shall be constituted with the following members to be appointed by the Government :--

(a)	Principal Secretary/Secretary to the Government in the concerned Department.	*Chairman ex-officio*
(b)	Two other members. Only such persons shall be appointed to the office of the members who have experience in the matters of Finance or Administration.	*Member*

(2) The constitution of the Committee shall be notified in the *Gazette* and in at least two daily news papers.

PART-3

Expenditure incurred on Committee

Expenditure incurred on Committee

4. Budget provision for all expenditure incurred on functioning of the Committee shall be arranged through the Department of Technical Education.

PART-4

Miscellaneous

Appeals

5. A person or professional institution aggrieved by an order of the Committee shall file an appeal before the Appellate Authority appointed under section 1 of the Act, within a period of 30 days from the date of receipt of such an order.

By order,
ALOK RANJAN,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 118 राजपत्र–(हिन्दी)–2008–(249)–597+50=647 (कम्प्यूटर/आफसेट)।